योजना मंत्रालय

मांग संख्या 69

योजना मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		48.21	30.56	78.77	17.00	30.41	47.41	100.00	30.88	130.88
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**48.21**	**30.56**	**78.77**	**17.00**	**30.41**	**47.41**	**100.00**	**30.88**	**130.88**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.36	0.36	...	0.23	0.23	...	0.27	0.27
2. योजना आयोग	3451	10.00	26.60	36.60	8.90	26.69	35.59	69.00	27.11	96.11
3. राज्य मानव विकास रिपोर्ट के लिए यूएनडीपी सहायता	3475	3.00	...	3.00	2.58	...	2.58	8.00	...	8.00
	3601	0.10	...	0.10	0.02	...	0.02	0.05	...	0.05
	जोड़	*3.10*	*...*	*3.10*	*2.60*	*...*	*2.60*	*8.05*	*...*	*8.05*
4. राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन	2406	25.00	...	25.00	...	...	...	...	...	...
5. अन्य	3475	10.11	3.60	13.71	5.50	3.49	8.99	22.95	3.50	26.45
कुल जोड़		***48.21***	***30.56***	***78.77***	***17.00***	***30.41***	***47.41***	***100.00***	***30.88***	***130.88***
ख आयोजना परिव्यय*:-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय आर्थिक सेवा	13451	10.00	...	10.00	8.90	...	8.90	69.00	...	69.00
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	13.21	...	13.21	8.10	...	8.10	31.00	...	31.00
3. राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन	12406	25.00	...	25.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*48.21*	*...*	*48.21*	*17.00*	*...*	*17.00*	*100.00*	*...*	*100.00*

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसमें केन्द्रीय योजना मंत्री और योजना राज्य मंत्री के सचिवालय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **योजना आयोग/योजना बोर्ड:**

(क) इसमें कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) सहित योजना आयोग के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) आयोजना स्कीम "कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण" का प्रचालन कार्यालय परिसरों तथा उपकरण इत्यादि के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा है।

(ग) (i) जैसा कि "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000" में परिकल्पना की गई थी, जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी तथा इसके बजट को योजना आयोग के बजट में शामिल किया जा रहा है।

(ग) (ii) राष्ट्रीय स्थिरीकरण के लिए पीआरआई/एनजीओ, वीओ, वाईओ तथा अन्य संगठनों को सहायतानुदान की एक नई योजना के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण एवं स्थिरीकरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए उपर्युक्त संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) हार्डवेयर/साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति तथा साफ्टवेयर इत्यादि के विकास तथा अनुरक्षण पर व्यय की पूर्ति हेतु एक पृथक बजट प्रावधान बनाने के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी" शीर्ष खोला गया है।

3. **यूएनडीपी सहायता:** राज्य मानव विकास रिपोर्टें तैयार करने के लिए यूएनडीपी सहायता की व्यवस्था की गई है।

5. **अन्य**

(क) योजना आयोग की रुचि के अनुसंधान अध्ययन करने के लिए अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।

(ख) नरेला परिसर में आधारभूत ढ़ांचे की सुविधाओं के लिए प्रावधान करने के लिए "आईएएमआर को सहायता-अनुदान"।

(ग) विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थाओं के विकास इत्यादि के लिए सहायता अनुदान।

(घ) "व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" योजना के अंतर्गत भुगतान।

(ड़) राष्ट्र विकास को प्रतिबिम्बित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को शामिल करते हुए एक व्यापक डाटा बैंक बनाने के लिए तथा राज्य विकास रिपोर्टें आदि तैयार करने के लिए योजना 50वें वर्ष की पहल।